सं. ए.12026/5/2021-प्रशा.II
भारत सरकार
नीति आयोग

नीति भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसंबर, 2021

विषय: नीति आयोग के फ्लेक्सी पूल में वरिष्ठ विशेषज्ञ / विशेषज्ञ के पद पर भर्ती।

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) भारत का शीर्ष नीति निर्माता (थिंक टैंक) है जो एक उत्प्रेरक के रूप में परिवर्तनकारी पहलों में शामिल रहा है और केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई क्षेत्रों में परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। नीति आयोग के तीन प्रमुख कार्यक्षेत्र निम्नांकित हैं-

I. **नीति और ज्ञानः** नीति आयोग विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत अंतःक्षेप करता है और भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक तथा दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है। साथ ही, यह केंद्र और राज्यों को निदेश और नीतिगत इनपुट के साथ-साथ संगत तकनीकी सलाह भी देता है।
II. **नवप्रवर्तनः** नवप्रवर्तन और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना ताकि खासकर जटिल प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन-चालित क्षेत्र में विश्वस्तरीय नवप्रवर्तन केंद्रों, महाचुनौतियों, स्टार्ट-अप कारोबारों और अन्य स्व-रोज़गार कार्यकलापों को प्रोत्साहन मिल सके।
III. **अनुवीक्षण और मूल्यांकनः** साक्ष्य-आधारित नीति और कार्यक्रम डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्दृष्टि और फीडबैक उपलब्ध कराने हेतु जटिल इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग तकनीकों और बड़े डेटा विश्लेषण की रुपरेखा निर्धारित करना, प्रयोग, समप्रयोग करना।

नीति आयोग को ऐसे युवा, प्रतिभाशाली, नवप्रवर्तनशील और ऊर्जावान पेशेवरों की ज़रुरत है जो आज भारत में लिखी जा रही रोमांचक परिवर्तन गाथा से जुड़ी टीम का हिस्सा बनने के इच्छुक हों। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. रिक्त पदों की संख्या: 02 (अनंतिम) निम्नानुसार:

(i) जलवायु परिवर्तन

(ii) आर्थिक नीति

2. भर्ती का तरीका: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / संविदा

3. **वेतन:**

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए स्तर और वेतन मैट्रिक्स	संविदात्मक नियुक्ति** के लिए समेकित वेतन
वरिष्ठ विशेषज्ञ - स्तर-13 123100-215900 रु.	2,20,000/- रु.
विशेषज्ञ - स्तर-12 78800-209200 रु.	1,45,000/- रु.

*** संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारी नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली आवासीय सुविधा, सरकारी वाहन, छुट्टी नकदीकरण अथवा किन्हीं अन्य भत्तों/सुविधाओं के पात्र नहीं होंगे। नियमित सरकारी कर्मचारी पर लागू होने वाली छुट्टी नियमावली संविदात्मक नियुक्ति पर लागू नहीं होगी। किंतु, संविदा पर नियुक्त होने वाले एक कैलेंडर वर्ष में यथानुपात आधार पर 8 दिन की छुट्टी के पात्र होंगे।*

4. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताः**

मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीबीएस या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्थागत परीक्षा के खंड 'ए' और 'बी' में उत्तीर्ण या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (द्विवर्षीय)।

5. **वांछनीय शैक्षिक अर्हताः अनुलग्नक- । के अनुसार**

6. **आयु -**

क) संविदात्मक नियुक्ति -

वरिष्ठ विशेषज्ञ: 33 वर्ष से कम न हो और 50 वर्ष से अधिक न हो।

विशेषज्ञ: 30 वर्ष से कम न हो और 50 वर्ष से अधिक न हो।

ख) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) - 56 वर्ष से अधिक न हो।

7. **अनुभव** -

7.1 **वरिष्ठ विशेषज्ञ:** नीति, कार्यक्रम या परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन/कार्यान्वयन, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन में न्यूनतम 10 वर्ष का अर्हता-उपरांत अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए 3 वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन 3 वर्षों को कार्य अनुभव में नहीं गिना जाएगा)। आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को न्यूनतम 10 वर्ष का अर्हता-उपरांत अनुभव। वांछित अनुभव **अनुलग्नक-।** पर देखा जा सकता है।

7.2 **विशेषज्ञ:** नीति, कार्यक्रम या परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन/कार्यान्वयन, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन में न्यूनतम 8 वर्ष का अर्हता-उपरांत अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए 3 वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन 3 वर्षों को कार्य अनुभव में नहीं गिना जाएगा)। आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को न्यूनतम 8 वर्ष का अर्हता-उपरांत अनुभव। वांछित अनुभव **अनुलग्नक-।** पर देखा जा सकता है।

8. **पात्रता शर्तें:**

8.1 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों (जिसके अंतर्गत उनसे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय भी हैं) या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारियों में से;

वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद के लिए:

क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और

ख) जिनके पास पैरा-4, 5 और 7 में यथा-उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

विशेषज्ञ के पद के लिए:

क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर या सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और

ख) जिनके पास पैरा-4, 5 और 7 में यथा-उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

नोट: सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए प्रतिनियुक्ति की निबंधन और शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और अद्यतन यथा-संशोधित दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार होंगी।

8.2 संविदा: निजी क्षेत्र की कंपनियों, परामर्शदात्री संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय संगठनों में तुलनीय स्तरों पर कार्यरत व्यक्ति जिनके पास पैरा- 4 से 7 में यथा-उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, आयु और अनुभव हो।

9. **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/संविदा की अवधि:**